बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक–...../

संचिका संख्या–03/आ01–199/2026...../मंत्री कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रे0सं0–M–992 दिनांक 13.08.2026 द्वारा श्री मनोज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय का एक भ्रामक व्हाट्सएप मैसेज (जिसमें सभी उर्दू/मकतब एवं मदरसा विद्यालयों में बृहस्पतिवार को हाफ डे शिक्षण कार्य संचालित करना निदेशित है) पर कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय से कारण पृच्छा की गयी।

2. श्री मनोज कुमार के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि बेगूसराय जिले में अवस्थित उर्दू/मकतब एवं मदरसा विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा उनसे लगातार पूर्व की भाँति बृहस्पतिवार को हॉफ–डे शिक्षण कार्य संचालित करने के संदर्भ में अनुरोध किया जा रहा था। फलस्वरूप निदेशालय स्तर से सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हॉफ–डे शिक्षण कार्य संचालित करने के संदर्भ में निर्गत आदेश को देखते हुए उनके द्वारा पूर्व के परंपरागत विद्यालय संचालन की अवधि के आलोक में WhatsApp Group में संदेश लिखा गया है। परंतु इस संदेश के संदर्भ में ज्ञात होने पर उनके द्वारा तत्क्षण उक्त त्रुटिपूर्ण संदेश को डिलीट करते हुए बृहस्पतिवार को अन्य कार्य दिवस की भाँति पूर्ण अवधि तक विद्यालय संचालन होने संबंधी संदेश WhatsApp Group में लिखा गया। वर्तमान में सभी उर्दू/मकतब एवं मदरसा विद्यालय पूर्ववत संचालित हो रहा है।

3. अतः उक्त मामले के लिए श्री मनोज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय को **भविष्य के लिए चेतावनी** देते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है।

4. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–199/2026...519700/ पटना, दिनांकः–13/10/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगुसराय/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Vijay Kumar Pandey
Date: 13-10-2026 12:30:01
निदेशक (प्रशासन)